रजिस्ट्री सं॰ डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 264] नई दिल्ली, सोमवार, जून 27, 1977/आषाढ़ 6, 1899

No. 264] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 27, 1977/ASADHA 6, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 27th June 1977

S.O 419(E)/18E/IDRA/77.—Whereas by the Order of the Government of India, in the late Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development) No. S O 483(E)/18AA/IDRA/75 dated the 8th September, 1975, issued under clause (a) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) (hereinafter referred to as the said Order), as amended by Order No S O 510(E)/18AA/IDRA/75 dated the 12th September, 1975, the Central Government have authorised Shri M. K Modwel to take over the management of the industrial undertaking known as Messrs Sen and Pandit Industries Limited, Calcutta (hereinafter in this Order referred to as the industrial undertaking), for the period specified therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18E, read with sub-section (5) of section 18AA, of the said Act, the Central Government specifies in the Schedule annexed hereto the exceptions, restrictions and limitations subject to which the Companies Act, 1956 (1 of 1956), shall continue to apply to the said industrial undertaking in the same manner as it applied thereto before the issue of the said Order.

THE SCHEDLUE

Provisions of the Companies Act, 1956.	Exceptions, restrictions and limitations subject to which the provisions mentioned in column (1) shall apply to the undertaking
1	2
Section 294A	The provisions of this section shall not apply to the industrial undertaking
Section 294AA	The provisions of this section shall not apply to the industrial undertaking

[No F. 2/28/75-CUC]
A. K. GHOSH, Addl. Secy.

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)
आदेश

नई दिल्ली, 27 जून, 1977

का० आ० 419(अ)/18 ई आई०डी०आर०ए०/77.—केन्द्रीय सरकार ने, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन जारी किए गए आदेश स० का०आ० 510(अ)/18 एए आई०डी०आर०ए०/75, दिनाक 12 सितम्बर, 1975 द्वारा यथा सशोधित भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में आदेश सं० का०आ० 483(अ)/18 एए आई०डी०आर०ए०/75 दिनांक 8 सितम्बर, 1975 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है) श्री एम० के० मांडवेल को, मैसर्स सेन एंड पडित इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कलकत्ता (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात् औद्योगिक उपक्रम कहा गया है।) का प्रबध इसमें विनिर्दिष्ट अवधि के लिए ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया है।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 18 क क की उपधारा (5) के साथ पठित, धारा 18ड की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, इससे उपाबद्ध अनुसूची में वे अपवाद, निर्बन्धन और परिसीमाएं विनिर्दिष्ट करती है जिनके अधीन रहते हुए, कपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) उक्त औद्योगिक उपक्रम को उसी रीति में लागू होता रहेगा जिसे रीति में वह उक्त आदेश के जारी होने से पूर्व लागू होता था।

अनुसूची

कपनी अधिनियम, 1956 के उपबंध	वे उपबान, निर्बन्धन और परिसीमाए जिनके अधीन रहते हुए स्तम्भ (1) में वर्णित उपबंध इस उपक्रम को लागू होगे।
1	2
धारा 294 क	इस खंड के उपबंध, इस औद्योगिक उपक्रम को लागू नही होगे।
धारा 294 कक	इस खंड के उपबन्ध, इस औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होगे।

[सं० फा० 2/28/75 सी०यू०सी]
अरुण कुमार घोष, अपर सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977
PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977